

R. No. 272

प्रपत्र - 3

(विषय 7)

उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन निबन्धन का प्रमाण पत्र
कार्यालय गोशाला निबन्धक, उत्तर प्रदेश

गोवश सेवा समिति चवभुज
गोशाला पैठा गोवर्धन
मथुरा।

के विषय में

यह पत्रावृत्त द्वारा प्रमाणित किया है कि उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन उपर्युक्त गोशाला के सम्बन्ध में विवरण पत्र निवेशित कर दिया गया है और मेरे कार्यालय में आज निबन्ध कर दिया गया है और यह कि उक्त गोशाला अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यथाविधि निबन्ध किया गया है।

आज बुधवार दिनांक चौदह जुलाई उषार - चार।

दिनांक 14/7/2004
मुर



महाजीरासि